दिनांक 16.5.17 को पेश हो।

S.D.O.

16.5.17

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक............ को पेश हो। 2.5.17

18.5.2017 लोक अदालत - कामेराव

पुनाराम

वादी सं 1, 3, 4 उप०।

प्रतिवादी सं 1, 3, 4, 7, 9(अ) 9(क), 9(ख), 9(ग) उपस्थित। प्रतिवादी सं-10 बावजूद तामिल के अनुप०। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। इस वाद अदालत मे लम्बित है तथा प्रतिवादी सं 1 से 9 की और से इकबाली जवाब पेश हो चुका है; तथा प्रतिवादी स(ख्या) 10 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाते हुए पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड

दोलाराम

तेजाराम

मेताराम

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

Contd-(2).

साक्ष्यों का परीक्षण कर वाद के
गुण विगुण पर वाद को निर्णित
किया जाना हम उचित समझते हैं
चूंकि प्रतिवादी सं. 1 से 9 का
जवाब जवाब पेश हो चुका
है, अतः वाद किन्तु कायम किये
जाने की आवश्यकता नहीं रहती है।

वादीगण ने वाद अंतर्गत
धारा 88-89-53-188 R.T.
Act प्रस्तुत कर निवेदन किया
कि मौजा घाणेराव में स्थित
वादग्रस्त कृषि वर्तमान ख० नं० 277,
278 279, 280, 281, 282
कुल खसरा 6 कुल क्षेत्रफल 6=2200
हेक्टर किस्म चा०डा० हो०, बेरा, सड़ा,
एवं डू०मु० जो गत ख०नं० 73,
73/1 एवं 56 से कायम हुवे है।
गत रेकार्ड एवं प्रतिवादी सख्या
10 के पिता कपचन्द द्वारा
ख०नं० 73, 73/1 में धारित हिस्सा
विक्रय किये जाने से एवं बन्दोबस्त
विभाग द्वारा पूर्व रेकार्ड में
वादीगण के स्व० पिता शोभा
पुत्र भजा को गत ख०नं० 56
में आवंटित 15 बीघा कृषि एवं
प्रतिवादी सं० 9 के स्व० पिता

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

मोटा पुत्र भजा के नाम खसरा नं. 56 मे
आवंटित 10 बीघा भूमि तथा
प्रतिवादीगण 1 से 8 के स्व० पिता
हमीया, [illegible] एवं प्रतिवादी सं० 9
मोटा पुत्रगण भजा के नाम गत
ख०नं० 73, 73/1 रकबा 22 बीघा
17 बिस्वा का 1/2 हिस्सा तथा
प्रतिवादी सं. 10 के गोद पिता
रूपचन्द का 1/2 हिस्सा खातेदारी
दर्ज था। प्रतिवादी सं. 10 के गोद
पिता रूपचन्द द्वारा जरिये पंजिकृत
विक्रय पत्र दिनांक 30.8.79 ख०नं०
73, 73/1 मे धारित 1/2 हिस्सा
कुल 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रतिवादी
संख्या 1 से 8 के स्व० पिता हमीया
एवं प्रतिवादी सं० 9 मोटा को विक्रय
की गई एवं शेष भूमि रूपचन्द
द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय विलेख
दिनांक 28.2.83 के अन्य व्यक्ति
देवा, रता, खीमा पि० भीका सुथार
को विक्रय की गई। इस प्रकार
गत ख०नं० 73, 73/1 मे प्रतिवादी
संख्या-10 का कोई हक हकूक
हिस्सा नहीं रहा। बाकी बन्दोबस्त
से प्राप्त रेकार्ड मे गत ख०नं० 56,

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

(4)

(3)

56 नं. 73, 73/1 में वादग्रस्त भूमि नवीन खं०नं० 277, 278, 279, 280, 281, 282 कुल रकबा 6.82 हैक्टर कायम किये गये एवं वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सरवा 1 से 8, 9 एवं 10 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज की गई। उक्त स्थिति एवं गत अभिलेखों के अनुसार वादी का वादग्रस्त भूमि में 15/42 हिस्सा, प्रतिवादी 1 से 8 का 17/84 हिस्सा एवं प्रतिवादी सरवा 9 का 37/84 हिस्सा का खातेदार घोषित करने एवं माफिक हिस्सा बाई किस्म एण्ड बाऊल्युस विभाजन किये जाने तथा प्रतिवादी सरवा 10 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं० 1 से 9 की ओर से जवाबदावा पेश कर बन्दोबस्त से पूर्व खतौनी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

2034-37 के अवलोकन से
वादग्रस्त प्रति मौजा चाणोदक
के ख.नं. 56 रकबा 15 बीघा
वादीगण के पिता धोंगा पुत्र
भजा के नाम खातेदारी दर्ज
थी, ख.नं. 56 मे 10 बीघा
प्रतिवादी संख्या-9 मोटा पुत्र
भजा के नाम 10 बीघा खातेदारी
दर्ज थी तथा उक्त ख.नं. 73, 73/1,
रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा
प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता
धौला एवं प्रतिवादी सं.-9
मोटा के 1/2 हिस्सा तथा
प्रतिवादी सं.10 के गोद पिता
रूपचन्द S/o गोधा लुहार के नाम
1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज थी।
प्रतिवादी सं.10 के गोद पिता
रूपचन्द पुत्र गोधा लुहार द्वारा
धारित 1/2 हिस्सा मे से 5 बीघा
8 बिस्वा कृषि जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक 30.8.79
प्रतिवादी 1 से 8 के पिता धौला
एवं प्रतिवादी सं.9 मोटा S/o भजा
को विक्रय कर दी गई तथा
प्रतिवादी सं.10 के पिता रूपचन्द
द्वारा उक्त विक्रय के पश्चात

उपखण्ड अधिकारी

अविभाजित हिस्सा की सम्पूर्ण
भूमि आनन्द कालिया दो देवा, रता,
खीमा पिता मीवा सुथार को रजिस्टर्ड
पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.2.83
को विक्रय कर दी गई जिसकी
पुष्टि बेचान दस्तावेज दिनांक
30.8.79 एवं 28.2.83 की प्रस्तुत
प्रतियों से होती है। इस प्रकार
ख०नं० 73 एवं 73/1 में प्रतिवादी
सं०-10 के पिता रूपचन्द का धारित
सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा विक्रय होने
से उसके हक अधिकार वादग्रस्त
भूमि में स्वत: समाप्त हो चुके है.
नवीन बन्दोबस्त से प्राप्त
रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि गत
ख०नं० 56, 56मी, 73, 73/1 को
मिलाकर नये ख०नं० 377 से 382
कुल रकबा 6.82 हेक्टर कायम
किये जाकर प्रतिवादी सरवा। सं०10
को संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज
किया गया। पुष्टि में मिसल बंदोबस्त
एवं नवीन खतौनी की प्रतियां प्रस्तुत
है। गत रेकार्ड एवं बेचान दस्तावेज
के अनुरूप वादग्रस्त भूमि में से
15 बीघा भूमि की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी.
देसूरी (पाली)

S.D.O. देसूरी

वादीगण एवं 8 बीघा 14 ...
कृषि की खातेदारी प्रतिवादी 1 ...
तथा 18 बीघा 14 बिस्वा कृषि
प्रतिवादी संख्या-9 पाने के
अधिकारी है, जो वादग्रस्त कृषि
वर्तमान ख०नं० 277 से 282 रकबा
6-82 हेक्टर मेंसे हिस्से के
अनुसार 15/42 हिस्सा वादीगण,
17/84 हिस्सा प्रतिवादी 1 से 8
एवं 37/84 हिस्सा प्रतिवादी सं० 9
के हक अधिकार में रखा
जाना तथा प्रतिवादी सं०-10 का
नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित
किया जाना विधिसम्मत एवं उचित
प्रतीत है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत
धारा 88-89-53-188 R.T. Act
स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त
कृषि मौजा ख्यानेराव के ख०नं० 277,
278, 279, 280, 281, 282 कुल
क्षेत्रफल 6-82 हेक्टर किता चा०डा०सी०,
बेरा, सडा एवं देवगुफा में 15/42 हिस्सा
का वादीगण को, 17/84 हिस्सा
का खातेदार प्रतिवादी सं० 1 से 8 को
तथा 37/84 हिस्सा का खातेदार

प्रतिवादी ... घोषित ... रेकार्ड ... नाम ...

खण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

प्रतिवादी सं. 9 के का.मु. को
घोषित किया जाता है। राजस्व
रेकार्ड से प्रतिवादी सं. 10 का
नाम विलोपित किया जावे।
उक्त हिस्सो के अनुरूप
वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 8
एवं 9 के मध्य वादग्रस्त
भूमि के विभाजन की प्राथमिक
डिक्री पारित कर विभाजन
की रिपोर्ट प्रस्तुत करने
के लिए निर्णय की प्रति
तह. देसूरी एवं पटवारी
पटवार को भिजवाई जावे।
विभाजन का प्रतिवेदन फार्म-2
ख.नं., रकबा, किस्म, लगान
मय नक्शा मे फार्म-2 दर्शाते
हुए तथा पक्षकारान के
मध्य आवागमन हेतु रास्तो की
सुविधा रखते हुए प्रस्तुत करेगे।
विभाजन का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने
पर पृथक से उजराय पत्रावली
कायम की जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।
निर्णित शुमार होकर
पत्रावली सरकार से का.हो! आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(राजेश ...)
देसूरी (पाली)
S.D.O. देसूरी